कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

क्र. 244/र-व./2024 कोरबा/दि० 14/01/25

आवारा कुत्तों पर नियंत्रण हेतु बधियाकरण/टीकाकरण की नियम-शर्ते :-

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा सोसायटी अधिनियम 1960 का (21) या अन्य के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में पंजीकृत संस्था से नगर पालिक निगम, कोरवा क्षेत्रांतर्गत एनीमल कन्ट्रोल बोर्ड आवारा कुत्तों के बधियाकरण एवं टीकाकरण हेतु निम्नलिखित निविदा आमंत्रित किये जाते है।

1. उक्त निविदा ई-टेडरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जा रही है।
2. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
3. इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पाटर्नशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, विगत् 03 वर्षो का आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पेन नंबर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑन-लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. अमानत राशि 60,000/- की वैध FDR/TDR निविदा प्रतिभागी शुल्क 3,000/- डिमांड ड्राफ्ट एवं निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा, साकेत भवन आई.टी. आई.रामपुर कोसाबाड़ी पिन कोड-495677 कोरबा के पते पर भेजना होगा। निधारित तिथि को सायं 03.00 बजे के पश्चात् फिजिकल सबमिशन लिफाफा स्वीकार नही किया जावेगा।
5. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित मूलप्रति में निर्धारित प्रारूप में वैध शपथ पत्र (राशि रू. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात् का, निविदा कमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
6. अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क डिमांड ड्राफ्ट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गये कार्यो के देयकों का भुगतान कार्य विशेष हेतु बजट आबंटन एवं राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
8. निविदाकार द्वारा आवारा कुत्तों को चिन्हित कर पकड़ने का कार्य भारत सरकार के राजपत्र में निर्धारित प्रकिया के तहत् करना होगा, तथा बधियाकरण का कार्य नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निर्धारित स्थान पर करना होगा।
9. कोरबा नगर पालिक निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आवारा कुत्तों का बधियाकरण पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से योग्यताधारी पशु शल्य चिकित्सक द्वारा कराना होगा।
10. ऑपरेशन केन्द्र में आवरा कुत्तों का रख - रखाव ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात् भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन Extra ordinary ' 1923 दिनांक 24.12.2001 में दी गई व्यवस्था अनुसार रखना होगा।
11. आवारा कुत्तों के बधियाकरण के प्रयुक्त उपकरण व औषधियों का व्यय निविदाकार को करना होगा।
12. ऑपरेशन केन्द्र में रखे जा रहें आवारा कुत्तों के भोजन एवं औषधियों का व्यय निविदाकार को करना होगा।

NIVIDA

13. निविदाकार को ऑपरेशन केन्द्र में स्थापित आवारा कुत्तों प्रबंधन एवं नियंत्रण पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुशासित अन्य स्वायत्तशासी,संस्थाओं, ग्राम पंचायतों इत्यादि को श्वान प्रबंधन एवं नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगे।
14. वर्तमान में ऑपरेशन केन्द्रों में स्थापित उपकरणों भवन, पानी के बोरिंग, बिजली इत्यादि की रख –रखाव व उस पर होने वाले व्यय निविदाकार को करना होगा।
15. ऑपरेशन केन्द्र संचालन में नियुक्त सभी स्टॉफ का प्रबंधन निविदाकार को करना होगा व उस पर होने वाला व्यय भी संवेदक को करना होगा।
16. निविदाकार द्वारा जिन कुत्तों का बधियाकरण एवं टीकाकरण की कार्यवाही करेगा यदि किसी पालतू कुत्तों का बधियाकरण निविदाकार द्वारा किया जाता है, तो इसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. निविदाकार द्वारा आवारा कुत्तों का बधियाकरण एवं टीकाकरण निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी/पर्यवेक्षक के समक्ष किया जाएगा, जिसकी एक पंजी संधारित की जावेगी, जिसमें आवारा कुत्तों के संबंध मे विवरण अंकित किया जाएगा। उक्त रजिस्टर का सत्यापन संबंधित अधिकृत अधिकारी/पर्यवेक्षक से कराया जावेगा।
18. सत्यापित रजिस्टर के अनुसार देयक का भुगतान किया जावेगा।
19. निविदाकार द्वारा जिन कुत्तों का बधियाकरण एवं टीकाकरण की कार्यवाही करेगा उनको चिन्हित कर उसी स्थान पर छोड़ेगा जहॉ से उन्हे पकड़ा गया हो।
20. द्वितीय पक्ष द्वारा कुत्तों का बधियाकरण एवं टीकाकरण की विडियो ग्राफी करनी होगी।
21. ऑपरेशन केन्द्र में बधियाकरण एवं टीकाकरण हेतु शहर से कुत्तों पकड़वाने का कार्य बिना किसी प्रकार की क्रुरता के निविदाकार को करना होगा।
22. आवारा कुत्तों पकड़ने में प्रयुक्त वाहन व स्टॉफ की व्यवस्था व उस पर होने वाले व्यय निविदाकार को करना होगा।
23. कुत्ता पकड़ने व छोड़ते समय आवारा कुत्ता नियंत्रण हेतु जारी राजपत्र में दी गई व्यवस्था का पालन करना होगा।
24. पकड़े गये कुत्तों एवं बधियाकरण किये गये कुत्तों का सांख्यिकीय ब्यौरा क्षेत्रवार एवं वर्षवार निविदाकार को रखना होगा।
25. स्वास्थ्य अधिकारी/स्वच्छता निरीक्षक द्वारा रिकार्ड मांगने पर उपलब्ध करवाना होगा ।
26. बधियाकरण किये गये आवारा कुत्तों के अण्डकोष एंव अण्डाषय को भौतिक सत्यापन हेतु रखना होगा। कार्य का भौतिक सत्यापन स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
27. Rabbies Vaccination करना अनिवार्य है।
28. श्वान केन्द्र संचालन हेतु अनुभवी फर्म को प्राथमिकता दी जावेगी।
29. पशु जन्म नियंत्रण (कुत्तों) नियम 2001 का पूर्णरूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
30. संस्था का छत्तीसगढ़ सोसायटी एक्ट के तहत् रजिस्ट्रेशन एवं गत वर्ष का आयकर रिटर्न होना आवश्यक है।

सहा.स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ0ग0)

प्रतिलिपि :-
प्रोग्रामर: संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.govt.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

NIVIDA

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		14.01.2025	17.00	14.01.2025	17.00	Release Tender
2		Bid Submission	14.01.2025	17.00	04.02.2025	17.30	
3		Physical Document Submmission	14.01.2025	17.00	05.02.2025	15.00	
4	Tender Open		05.02.2025	16.00	--	--	

HEALTH OFFICER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)